



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन, बशीरबाग, हैदराबाद – 500004

[www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in)

संदर्भ : मा. सं / भर्ती / अगस्त 2017

14-08-2017

(ऑन लाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि: 5-9-2017)

**आईआरडीएआई में सहायक प्रबंधक के पद के लिए भर्ती अधिसूचना**

1. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एक संवैधानिक संस्था है जो संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित है।
2. आईआरडीएआई अपने विभिन्न कार्यालयों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सहायक प्रबंधक के पद को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। चयन एक देशव्यापी प्रतियोगी चरण- I "ऑन-लाइन प्रारम्भिक परीक्षा", इसके बाद चुनिंदा-केंद्रों पर चरण-II "वर्णनात्मक परीक्षा" और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। रिक्तियों की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:

पद का नाम	अनारक्षित अर्थात सामान्य (सामा/अना)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.)	अनुसूचित जाति (अजा)	अनुसूचित जनजाति (अजजा)	कुल
सहायक प्रबंधक	16	7	4	3*	30 # @

**टिप्पणी:**

- क) \* एक बैकलॉग रिक्ति शामिल है।
- ख) # निःशक्त(पीडब्ल्यूडी) -श्रवण बाधित के लिए एक रिक्ति शामिल है, यानी दिव्यांगता वर्ग के लोगों के तहत श्रवण बाधित व्यक्ति। दिव्यांग उम्मीदवार किसी भी वर्ग (अर्थात सामान्य/ अजा/ अजजा/ अपिव) के हो सकते हैं।
- ग) @ बीमांकिक के लिए चार (4) पद, लेखा के लिए चार(4) पद और विधि विशेषज्ञों के लिए दो (2) पदों को व्यावसायिक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने के लिए निर्धारित किया गया है, जैसा कि बाद में क्षैतिज आरक्षण के साथ विस्तृत दिया गया है, अर्थात ये पद सभी श्रेणियों में भर जाएंगे। चयन के बाद, उन्हें आईआरडीएआई के विशेष विभागों और / या अन्य विभागों / कार्यालयों में भी पदस्थापित किया जा सकता है। आवश्यकताओं के आधार पर, आईआरडीएआई

विशेषज्ञों के बीच रिक्तियों की संख्या और ऊपर अधिसूचित कुल रिक्तियों के बीच अंतर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. अ.पि.व. वर्ग से संबंधित जो उम्मीदवार 'क्रीमी लेयर' में आते हैं वे अ.पि.व. आरक्षण के लिए हकदार नहीं हैं। उन्हें अपने वर्ग का उल्लेख 'सामान्य (सामा)' के रूप में करना चाहिए।
4. निःशक्तजनों के लिए आरक्षण क्षैतिज है तथा पद के लिए समग्र रिक्तियों के अंतर्गत है।
5. अधिसूचित की गई कुल रिक्तियों के अंतर्गत केवल श्रवण बाधित (एचआई) उम्मीदवार रिक्त निःशक्त(पीडब्ल्यूडी) पद के लिए पात्र हैं और उम्मीदवारों का चयन सभी मामलों में उपयुक्तता के अधीन किया जाएगा और निःशक्त(पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के तहत चयन के लिए किसी अन्य निःशक्त(पीडब्ल्यूडी) वर्ग के अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आईआरडीएआई की वेबसाइट ([www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in)) के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। आवेदन जमा करने के लिए कोई और तरीका उपलब्ध नहीं है।
7. भर्ती का संभावित कार्यक्रम नीचे दिया गया है:

विवरण	कार्यक्रम
ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के लिए वेबसाइट लिंक खुलेगा	15.08.2017
ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क /सूचना प्रभारों के भुगतान के लिए अंतिम तिथि	05.09.2017
चरण -I ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	04.10.2017

चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा के लिए चुने हुए उम्मीदवारों का विवरण आईआरडीएआई वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। चुनिंदा केंद्रों पर चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा के संचालन की तिथि बाद में सूचित की जाएगी।

8. उम्मीदवार "ऑन लाइन" आवेदन फॉर्म भरने के लिए "सहायक प्रबंधक के पद के लिए भर्ती ([रिक्रूटमेंट फार द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर](http://www.irdai.gov.in))" के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
9. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को आईआरडीएआई की वेबसाइट ([www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in)) के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।

सहायता सुविधा: फार्म भरने, शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान करने अथवा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में

कोई समस्या आने के मामले में <http://cgrs.ibps.in/> से संपर्क किया जा सकता है। ईमेल के विषय में 'आईआरडीएआई सहायक प्रबंधक की भर्ती(2017)' उल्लेख करना न भूलें।

## 10. निःशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की परिभाषा

### 10.1 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,

1995 की धारा 33 के अंतर्गत केवल ऐसे ही व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो संबंधित कम से कम 40% निःशक्तता से ग्रस्त हैं तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत हैं। ऐसे लाभों का दावा करनेवाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे यदि माँगा जाता है तो साक्षात्कार के समय/ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपने दावे के समर्थन में हमारी वेबसाइट [www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in) के रोजगार टैब के अंतर्गत उपलब्ध निर्धारित फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता (डिजेबिलिटी) प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करें। उक्त प्रमाणपत्र वैध और आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तारीख या उससे पहले के दिनांक से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने अथवा प्रमाणपत्र निर्धारित फार्मेट में न होने अथवा मानकों के अनुसार अर्हकारी न होने की स्थिति में आगे की चयन प्रक्रिया से उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा।

### 10.2 श्रवणशक्ति की क्षति से युक्त निःशक्त (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए नोट

बधिर वे व्यक्ति हैं जिनमें श्रवणेन्द्रिय जीवन के साधारण प्रयोजनों के लिए निष्क्रिय है अर्थात् जिनके दोनों कानों में सुनने की शक्ति पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। वे सुन नहीं सकते, जोर से बोलने पर भी ध्वनियों को बिलकुल नहीं समझ सकते। श्रवणशक्ति की क्षति से आशय है संवादात्मक आवृत्तियों के दायरे में बेहतर कान में साठ अथवा उससे अधिक डिसाइबेल की हानि।

10.3 निःशक्त (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को प्राधिकृत भारत सरकार / राज्य सरकार के विभाग/ अस्पताल द्वारा जारी किये गये इस आशय के एक नवीनतम प्रमाणपत्र से युक्त होना चाहिए।

## 11. पात्रता मानदंड:

11.1 आयु (05-09-2017 को): दिनांक 5.9.2017 को 21 और 30 वर्ष के बीच हो, अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 06/09/1987 से पहले और 05/09/1996 (दोनों दिन शामिल हैं) के बाद का नहीं होना चाहिए।

### 11.1.1. उच्चतर आयु सीमा में छूट :

सहायक प्रबंधक के पद हेतु उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी :

क्रम सं	वर्ग	उच्चतर आयु सीमा में छूट
(i)	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अजा)	5 वर्ष

	/अजजा)	
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.)	3 वर्ष
(iii)	निःशक्तजन	निःशक्तजन (अजा/अजजा)-15 वर्ष निःशक्तजन (अ.पि.व.) - 13 वर्ष निःशक्तजन (सामान्य) - 10 वर्ष
(iv)	आपातकालीन अधिकारियों/अल्पावधि अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन-प्राप्त अधिकारियों बशर्ते आवेदनकर्ता ने दिनांक 5.9.2017 को सेना में लगातार कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो और जो निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर सेवामुक्त किये गये हैं (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल दिनांक 5.9.2017 के आगामी एक वर्ष में पूरा होने वाला है) किंतु इनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं है जिन्हें कदाचार या अकुशलता या शारीरिक अक्षमता के कारण सेवामुक्त किया गया है अथवा जो सैन्य सेवा से संबंधित अपंगता या अशक्तता के कारण से सेवामुक्त कर दिए गए हों।	कमीशन-प्राप्त 5 वर्ष
(vi)	उम्मीदवार जो सामान्यतः 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर मंडल के निवासी रहे हों।	5 वर्ष
(vii)	आईआरडीएआई के कर्मचारी।	आईआरडीएआई में की गई कुल सेवा की अवधि, अधिकतम तीन वर्ष तक

आयु सीमा में संचयी छूट उपर्युक्त श्रेणियों या अन्य श्रेणी के संयोजन से नहीं दी जाएगी।

11.2. शैक्षिक अर्हताएं: उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं में से कोई भी अर्हताएं होनी चाहिए।

क्रम सं	विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आवश्यक अर्हताएं
---------	------------	----------------	-----------------

1.	बीमांकिक	4	1. न्यूनतम 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और 2. भारतीय बीमांकिक संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ ऐक्चूएरिज ऑफ इंडिया) (आईएआई) के नौ (9) विषयों में पास ।
2.	लेखा	4	1. न्यूनतम 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और 2. एसीए / एआईसीडब्ल्यूए / एसीएस / सीएफए
3.	विधि	2	1. न्यूनतम 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और 2. 60% अंकों के साथ विधि में स्नातक की डिग्री (एलएलबी) या 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ प्रथम श्रेणी में पाँच वर्षीय एकीकृत विधि स्नातक (एलएलबी) पाठ्यक्रम।
4.	सामान्य	20	न्यूनतम 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

#### टिप्पणी:

- (1) उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।
- (2) उम्मीदवार आवेदन फार्म में संबंधित विशेषीकरण के अनुसार बीमांकिक या लेखा या विधि में से किसी एक और/या सामान्य धारा के लिए विकल्प दे सकते हैं। प्रयोग किये गये विकल्प और संबंधित विशेषीकरणों में निर्दिष्ट (कट-ऑफ) अंकों के अनुसार निष्पादन के आधार पर चयन होगा।
- (3) अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में स्नातक उपाधि में 5% अंकों की सीमा तक शैक्षिक मानकों में छूट की अनुमति है।
- (4) कुछ विश्वविद्यालय/ संस्थान श्रेणी अथवा अंकों के प्रतिशत नहीं अपितु समग्र ग्रेड प्वाइंट प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि)। यदि विश्वविद्यालय/ संस्थान/बोर्ड द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड बताया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा डिग्री/उत्तीर्ण होने

संबंधी प्रमाणपत्र में समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड नहीं बताया जाता है तो अपारिभाषित मानदंड (मानदंडों) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

समकक्ष सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई अथवा कोई और शब्दावली जो 10 प्वाइंट स्केल पर दी गई है	श्रेणी / डिवीजन	अंकों का समग्र प्रतिशत
6.75	I (प्रथम)	60%
6.25	II (द्वितीय)	55%
5.75	II (द्वितीय)	50%

- (5) समग्र ग्रेड प्वाइंट अथवा अंकों के प्रतिशत, जहां दिए गए हों, का अभिप्राय पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के होंगे।
- (6) जहां समग्र ग्रेड प्वाइंट (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) 10 के अलावा अन्य किसी संख्या में से दिए गए हों तो इनका 10 में से सामान्यीकरण किया जाएगा तथा उसकी गणना उपर्युक्त मद (4) के अनुसार की जाएगी।
- (7) आईआरडीआई कर्मचारियों के लिए, नीचे उल्लिखित रूप में आयु में छूट को छोड़कर शुल्क/सूचना प्रभारों / योग्यता के मानकों में कोई अन्य छूट नहीं होगी।
- (8) योग्यताओं के अंतर्गत पात्रता आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् 5.9.2017 की स्थिति के अनुसार मानी जाएगी।

## 12. चयन प्रक्रिया

### 12.1 चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- i) **चरण – I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा** (वस्तुनिष्ठ प्रकार). यह चरण-II वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) परीक्षा हेतु पात्र होने के लिए एक अर्हकारी परीक्षा है। इसके माध्यम से बीमांकिक, लेखा और विधि विशेषीकरणों और सामान्य रिक्तियों के लिए आईआरडीआई द्वारा अलग से निर्धारित किये जानेवाले मानकों के अनुसार चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की चयनित सूची अलग से बनाई जाएगी (उपलब्धता के अधीन रिक्तियों की संख्या से लगभग 20 गुना)। चरण-I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक साक्षात्कार अथवा अंतिम चयन के लिए नहीं गिने जाएँगे।
- ii) **चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा** जिसमें 3 प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र I, II और III) होंगे तथा
- iii) **चरण-III साक्षात्कार**  
चरण-III साक्षात्कार हेतु बीमांकिक, लेखा, विधि विशेषीकरणों और सामान्य रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की चयनित सूची केवल चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा के प्रश्नपत्र I, II और III में

प्राप्त कुल अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। चरण-III साक्षात्कार हेतु चयनित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट अंकों का निर्णय प्रत्येक विशेषीकरण और सामान्य रिक्तियों के लिए आईआरडीआई द्वारा अलग से किया जाएगा। अंतिम चयन चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा में संबंधित विशेषीकरण के अंतर्गत उम्मीदवारों के श्रेष्ठ निष्पादन एवं चरण-III साक्षात्कार को एकसाथ लेने के आधार पर होगा।

12.2 चरण-I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) चार परीक्षणों के साथ 160 अंकों के लिए होगी, जो निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परीक्षण का नाम (वस्तुनिष्ठ)	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1.	तर्क शक्ति परीक्षण	40	40	कुल सम्पूर्ण समय 90 मिनट
2.	अंग्रेजी भाषा- परीक्षण	40	40	
3.	सामान्य ज्ञान परीक्षण	40	40	
4.	अंकीय योग्यता का परीक्षण	40	40	
<b>कुल</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	

प्रत्येक उम्मीदवार को अलग-अलग प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी और आईआरडीआई द्वारा प्रत्येक परीक्षण के लिए और कुल मिलाकर कट-ऑफ अंक को तय किया जाएगा। विशेषज्ञों और सामान्य पदों, प्रत्येक के लिए अलग कट-ऑफ भी लागू किया जा सकता है। परीक्षण अंग्रेजी और हिंदी में होंगे (अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर जो केवल अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाएगी)।

12.3 चरण-I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की संगणना निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए की जाएगी:

- i. वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक घटाया जाएगा।
- ii. गलत उत्तरों के लिए दंड लागू करने के बाद सही अंक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उम्मीदवार के द्वारा सही उत्तर दिये गये प्रश्नों की संख्या पर विचार किया जाएगा।
- iii. समीकृत प्राप्तांकों\* का परिकलन करने के लिए विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई स्तर, यदि कोई हो, में अल्प अंतर का ध्यान रखने के लिए उम्मीदवार द्वारा इस प्रकार प्राप्त संशोधित अंकों को समान बनाया जाता है।

\*यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है तो सभी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के वितरण को ध्यान में रखते हुए किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों को आधारभूत रूप तक समान कर दिया जाता है।

iv. परीक्षा-वार प्राप्तांकों और कुल मिलाकर प्राप्तांकों की गणना दो अंकों तक दशमलव बिन्दुओं के साथ की जाती है।

12.4 उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे एक सत्र में चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा में सभी तीनों प्रश्नपत्रों के लिए उपस्थित हों। इस प्रयोजन के लिए अलग प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा के लिए समय-सारणी संबंधित उम्मीदवारों को चरण-II के लिए प्रवेश पत्र के साथ सूचित की जाएगी। चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा में निम्नानुसार तीन प्रश्नपत्र होंगे:

प्रश्नपत्र का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	अंक	समय (मिनट)
प्रश्नपत्र-I : अंग्रेजी	वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव)	100	60
प्रश्नपत्र-II : बीमा को प्रभावित करनेवाले आर्थिक और सामाजिक विषय	(प्रश्नपत्र कंप्यूटर पर प्रदर्शित किये जाएंगे तथा कागज और पेन का प्रयोग करते हुए लिखना होगा)	100	60
प्रश्नपत्र-III : बीमा और प्रबंध		100	60

**चरण-II वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम**

(i) प्रश्नपत्र I – अंग्रेजी

क) निबंध;

ख) सार-लेखन;

ग) परिज्ञान (कांप्रिहेन्शन) और व्यावसायिक/ कार्यालयीन पत्र-व्यवहार।

(ii) प्रश्नपत्र II – बीमा को प्रभावित करनेवाले आर्थिक और सामाजिक विषय

क) आर्थिक संवृद्धि, व्यावसाय चक्र और बीमा व्यापन, अर्थव्यवस्था पर आयु संरचना का प्रभाव, बीमा प्रीमियम निर्धारण के लिए उपयोगिता सिद्धांत का प्रयोग, आपात और महामारी सहित समष्टि-आर्थिक कारक जो बीमाकर्ताओं और बीमा बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं;

ख) वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थाएँ और वित्तीय सेवाओं का समन्वयन तथा अंतःसंबंध से उत्पन्न होनेवाले जोखिम; प्रणालीगत जोखिम और संकेन्द्रण जोखिम;

ग) आर्थिक पूंजी और जोखिम आधारित पूंजीगत अपेक्षाएँ, पुनर्बीमा सहित जोखिम अंतरण व्यवस्थाओं का आर्थिक प्रभाव, अर्थव्यवस्था के धारणीय और दायित्वपूर्ण विकास के प्रति बीमा क्षेत्र का योगदान, बुनियादी संरचना क्षेत्र में बीमा निवेश;



- घ) भारत में आर्थिक सुधार जो बीमा क्षेत्र सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, बीमा विनियमन – वित्तीय और बाजार व्यवहार विनियम, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के कार्य, बीमांकक की भूमिका, भारत में प्रशुल्क-समापन (डी-टैरिफिंग), मोटर व्यवसाय और भारतीय अनुभव, बदलते बीमा विनियम / कानून तथा एफएसएलआरसी;
- ङ) भारत में सामाजिक संरचना, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमा तथा उनके प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व, भारतीय सूक्ष्म बीमा अनुभव, सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून और उनका कार्यान्वयन, आरएसबीवाई – गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले (बीपीएल) परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना।

**(iii) प्रश्नपत्र III – बीमा और प्रबंध**

**भाग 1 – बीमा**

- क) भारतीय बीमा का इतिहास, बीमा सिद्धांत;
- ख) जोखिम और अनिश्चितता, जोखिम का समूहन और विविधीकरण, क्षतिपूर्ति और बीमायोग्य हित;
- ग) बीमा के कानूनी प्रतिष्ठान, सामूहिक/स्वास्थ्य बीमा/ पेंशन; मध्यस्थता; बचत संग्रहण में भूमिका, विभिन्न प्रकारों का विकास और भारत में बैंकेश्युरेंस;
- घ) बीमाकर्ताओं द्वारा निष्पादित किये जानेवाले कार्य: उत्पाद अभिकल्पन, वितरण, जोखिम-अंकन, दावे, निवेश और पुनर्बीमा;
- ङ) बीमा व्यवस्थाएँ और उत्पाद: संपत्ति-देयता, जीवन बीमा और वार्षिकी तथा स्वास्थ्य बीमा; देयता जोखिम और बीमा, मूल्यांकन और शोधक्षमता संबंधी अपेक्षाएँ, भारत में विशेषज्ञ बीमा व्यवस्थाएँ – कृषि और निर्यात ऋण गारंटी, पुनर्बीमा, जीआईसी ऑफ इंडिया, दायित्व-वाहक सत्र तथा देश के अंदर जोखिम का प्रतिधारण।

**भाग 2 – प्रबंध**

- क) इसका स्वरूप और विस्तार;
- ख) प्रबंध की प्रक्रियाएँ – आयोजना, संगठन, स्टाफ की व्यवस्था, निदेशन और नियंत्रण, संस्था में प्रबंधक की भूमिका;
- ग) नेतृत्व: नेता के कार्य; नेतृत्व शैलियाँ; नेतृत्व सिद्धांत; सफल नेता बनाम प्रभावी नेता;
- घ) मानव संसाधन विकास – एचआरडी की संकल्पना; एचआरडी के लक्ष्य; कैरियर आयोजना - प्रशिक्षण और विकास;

- ड) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन – संभाव्य मूल्यांकन और विकास – प्रतिसूचना (फीडबैक) और कार्यनिष्पादन संबंधी परामर्श – पुरस्कार – कर्मचारी कल्याण;
- च) अभिप्रेरण, मनोबल और प्रोत्साहन: अभिप्रेरण के सिद्धांत; प्रबंधक कैसे अभिप्रेरित करते हैं; मनोबल की संकल्पना; मनोबल को निर्धारित करनेवाले कारक; मनोबल निर्मित करने में प्रोत्साहनों की भूमिका;
- छ) संप्रेषण: संप्रेषण प्रक्रिया के कदम; संप्रेषण के माध्यम; ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और पार्श्विक संप्रेषण; संप्रेषण की बाधाएँ;
- ज) सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका;
- झ) कॉरपोरेट अभिशासन: कॉरपोरेट अभिशासन को प्रभावित करनेवाले कारक; कॉरपोरेट अभिशासन के तंत्र।

12.5 उपर्युक्त पाठ्यक्रम केवल निर्देशात्मक है और संपूर्ण नहीं है। यह ध्यान में रखते हुए कि अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवार उक्त पदों के लिए आवेदन करते हैं, प्रश्नपत्र I और II में प्रश्न आधारभूत स्तर के होंगे।

### 13. चरण – III साक्षात्कार

13.1 जिन उम्मीदवारों को चरण – II में चयनित सूची में सम्मिलित किया गया हो, उन्हें बाद में एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस स्तर पर, व्यावसायिक योग्यताओं से युक्त उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए प्रस्तावित 10 पदों के संबंध में इस प्रकार के निश्चित किये गये प्रत्येक विशेषीकरण के लिए समस्तरीय (परस्पर संबद्ध) आरक्षण से युक्त उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता का परीक्षण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के लिए किया जाएगा। साक्षात्कार का वास्तविक स्थान, उसका पता, समय और दिनांक बाद में आईआरडीआई की वेबसाइट पर सूचित किये जाएँगे तथा साक्षात्कार के लिए चयनित सूची में सम्मिलित किये गये उम्मीदवार घोषित किये जानेवाले कार्यक्रम के अनुसार आईआरडीआई की वेबसाइट से अपने बुलावा पत्र (कॉल लेटर) डाउनलोड करेंगे।

13.2 केवल ऐसी ही संख्या में उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाये जाएँगे जो चरण – II वर्णनात्मक परीक्षा के कुल अंकों में श्रेष्ठता के क्रम में पर्याप्त रूप से उच्च स्थान पर हों, जिस श्रेष्ठता का निर्धारण प्रत्येक विशेषीकरण और सामान्य में भरी जानेवारी रिक्तियों की संख्या के संबंध में आईआरडीआई द्वारा किया जाएगा। यदि किसी भी विशेषीकरण के अंतर्गत कोई उम्मीदवार नहीं हो अथवा यदि किसी भी विशेषीकरण के अंतर्गत कोई भी उम्मीदवार पात्रता नहीं प्राप्त करता, तो ऐसी रिक्तियों को सामान्य रिक्तियों के रूप में माना जाएगा।

- 13.3 अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों अथवा निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित उम्मीदवार, प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक सामान्य स्तर के आधार पर नहीं भरे जा सकते, इनके संबंध में परीक्षा और/या साक्षात्कार में श्रेष्ठता के क्रम में उनके स्थान का विचार किये बिना उक्त पद/ सेवा में चयन के लिए इन उम्मीदवारों की उपयुक्तता के अधीन, आरक्षित कोटे में कमी पूरी करने के लिए एक छूट-प्राप्त स्तर के साथ विचार किया जा सकता है।
- 13.4 कृपया ध्यान रखें कि तारीख, समय, स्थान और साक्षात्कार के केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, आईआरडीआई के पास अपने विवेकानुसार साक्षात्कार के दिनांक / समय / स्थान / केन्द्र आदि में परिवर्तन करने अथवा विशिष्ट दिनांक / सत्र / स्थान / केन्द्र / उम्मीदवारों के समूह के लिए पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 13.5 अंतिम चयन श्रेष्ठता के क्रम में चरण – II वर्णनात्मक परीक्षा और साक्षात्कार (संयुक्त प्राप्तांक) को एकसाथ लेते हुए उम्मीदवार के निष्पादन के आधार पर होगा।
- 13.6 वर्णनात्मक परीक्षा और साक्षात्कार का भारांक 85 : 15 होगा। उम्मीदवारों के संयुक्त अंतिम प्राप्तांकों की गणना प्रत्येक विशेषीकरण के अंतर्गत वर्णनात्मक परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी।

#### 14. पहचान का सत्यापन

14.1 उम्मीदवार अनिवार्यतः अपने साथ विधिवत् अनुप्रमाणित (अटेस्टेड) फोटोग्राफ/मूल रूप में कार्यालयीन पत्र-शीर्ष (लेटरहेड) पर स्कूल अथवा कालेज/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किये गये पहचान कार्ड एवं स्वयं के द्वारा अनुप्रमाणित उसकी एक फोटोकॉपी के साथ एक फोटोयुक्त पहचान का प्रमाण जैसे पासपोर्ट/आधार/ ई-आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/बैंक पासबुक लाएँ। पहचान के प्रमाण की फोटोकॉपी परीक्षा के हॉल में निरीक्षकों को प्रवेश/ कॉल लेटर के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न करने पर अथवा यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध पाई जाती है तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी: इस प्रक्रिया के लिए रॉशन कार्ड को पहचान के वैध प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

14.2 उम्मीदवार अवश्य ध्यान रखें कि बुलावा पत्र (कॉल लेटर) पर विद्यमान नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदत्त) बिलकुल उसी रूप में फोटो पहचान के प्रमाण पर विद्यमान नाम से मेल खाना चाहिए। महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के बाद प्रथम/ अंतिम/ मध्य नाम परिवर्तित कर लिया हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में निर्दिष्ट नाम में कोई असमानता

हो तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने अपने नाम में परिवर्तन किया हो, उन्हें तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / अपना मूल विवाह प्रमाणपत्र / शपथपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

## 15. परीक्षा केंद्र:

15.1 ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर में दिए गए परीक्षा केंद्रों के स्थानों पर आयोजित की जाएगी। चरण-I के लिए ऑन-लाइन परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी:

क्रम सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	केंद्र
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2.	आसाम	गुवाहाटी
3.	अरुणाचल प्रदेश	
4.	मिजोरम	
5.	मणिपुर	
6.	मेघालय	
7.	नागालैंड	
8.	त्रिपुरा	
9.	बिहार	
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर
11.	दिल्ली	नई दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
12.	गुजरात	अहमदाबाद-गांधीनगर
13.	गोवा	पणजी

14.	हरियाणा	अंबाला/कुरुक्षेत्र/हिसार/करनाल
15.	हिमाचल प्रदेश	शिमला / सोलन
16.	जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर/ सांबा/ जम्मू
17.	झारखंड	रांची
18.	कर्नाटक	बेंगलुरु
19.	केरल	तिरुवनंतपुरम
20.	मध्य प्रदेश	भोपाल
21.	महाराष्ट्र	मुंबई / नवी मुंबई / ठाणे
22.	ओडिसा	भुवनेश्वर
23.	पंजाब	मोहाली / जालंधर / संगरूर
24.	राजस्थान	जयपुर / सीकर / अलवर / कोटा
25.	सिक्किम	गंगटोक -बरदंग सिटी
26.	तमिलनाडू	चेन्नै
27.	तेलंगाना	हैदराबाद
28.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
29.	उत्तराखंड	देहरादून
30.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
31.	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
32.	चंडीगढ़	चंडीगढ़-मोहाली

33.	दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव	वापी / वलसाड
34.	लक्षद्वीप द्वीप	कावारती
35.	पुदुचेरी	पुदुचेरी

**15.2** उम्मीदवारों के लिए चरण-I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए केन्द्र का चयन करने के लिए विकल्प होगा; तथापि, उम्मीदवार द्वारा केन्द्र के संबंध में एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। परीक्षा के केन्द्र में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

**15.3** तथापि, आईआरडीएआई के पास प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर अपने विवेकानुसार परीक्षा का कोई भी केन्द्र निरस्त करने और/या कुछ अन्य केन्द्र जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।

**15.4** जहाँ तक संभव हो, उम्मीदवारों को उनकी पसंद का केन्द्र आबंटित किया जाएगा। तथापि, आईआरडीएआई के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उम्मीदवार की पसंद के अलावा कोई अन्य केन्द्र उसको आबंटित करे। यदि चरण-I "ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा" के लिए किसी विशिष्ट केन्द्र के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार विकल्प नहीं देते, तो आईआरडीएआई के पास यह अधिकार है कि वह उम्मीदवारों को कोई अन्य निकटवर्ती केन्द्र आबंटित करे अथवा किसी एक केन्द्र में चरण-I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक संख्या में उम्मीदवार हैं तो आईआरडीएआई के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उम्मीदवार को कोई अन्य केन्द्र आबंटित करे।

**15.5 चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:**

केंद्र			
हैदराबाद	कोलकाता	मुंबई	नई दिल्ली

**15.6** प्रत्येक चरण के लिए अलग प्रवेश पत्र जारी किये जाएँगे।

**15.7** उम्मीदवार चरण-I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए किसी एक ही केन्द्र का चयन कर सकते हैं तथा उन्हें आवेदन में अपनी पसंद का केन्द्र निर्दिष्ट करना चाहिए। चरण-I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवार की पसंद का केन्द्र तथा चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा के लिए आबंटित केन्द्र अलग-अलग हो सकते हैं।

**15.8** उम्मीदवार को चरण-I के लिए परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के लिए अपने स्वयं के खर्च और जोखिम पर उपस्थित होना चाहिए तथा आईआरडीएआई किसी भी प्रकार के चोट, हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

## 16. सेवा की शर्तें / कैरियर की संभावनाएँ

**16.1 वेतन-मान:** चयनित उम्मीदवार रु. 28150-1550(4)-34350-1750(7)-46600-द.रो.-

1750(4)-53600-2000(1)-55600 (17 वर्ष) के वेतन-मान में रु. 28,150/- प्रति माह का प्रारंभिक मूल वेतन तथा अन्य भत्ते, जैसे महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता, ग्रेड भत्ता, आदि समय-समय पर स्वीकार्य रूप में प्राप्त करेंगे। अन्यत्र नियोजित और आईआरडीएआई की सेवा में आनेवाले उम्मीदवारों के लिए पद के लिए लागू वेतन-मान में मूल वेतन के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में, सहायक प्रबंधक के लिए प्रारंभिक मासिक सकल परिलब्धियाँ लगभग रु. 81,000/- हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, व्यावसायिक योग्यताओं के साथ पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित योग्यता भत्ते लागू हैं।

योग्यता	समापन स्तर	योग्यता भत्ता प्रति माह
बीमांकिक	भारतीय बीमांकिक संस्थान के नौ प्रश्नपत्र	रु. 15,000/-
लेखा	एसीए/एआईसीडब्ल्यू/एसीएस	रु. 3,500/-

**16.2 परिलब्धियाँ:** पात्रता के अनुसार टेलीफोन व्यय, ब्रीफकेस, पुस्तक अनुदान, निवास के फर्निशिंग के लिए भत्ता, वार्षिक स्वास्थ्य जाँच सहित चिकित्सा व्यय, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा आदि व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति है। छुट्टी किराया रियायत (दो वर्ष में एक बार स्वयं, पत्नी/पति और पात्र आश्रितों के लिए) तथा आवास, कार, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, आदि के लिए रियायती दरों पर ब्याज पर ऋणों और अग्रिमों की अनुमति भी पात्रता शर्तों के अनुसार है। चयनित उम्मीदवार परिभाषित अंशदान नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा नियंत्रित होंगे।

**16.3 वरिष्ठता:** सभी विशेषीकरणों के लिए चयनित उम्मीदवारों को सामान्य वरिष्ठता के अंतर्गत रखा जाएगा तथा इन अधिकारियों के बीच वरिष्ठता चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त रैंकिंग के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

**16.4** चयन के बाद, उम्मीदवारों को एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा (प्रोबेशन) पर ऐसी परीक्षा के किसी विस्तार के अधीन रखा जाएगा; परीक्षा की कुल अवधि सेवा में कार्यग्रहण करने की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की होगी।

**16.5** उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिए उचित संभावनाएँ हैं।

**16.6** चयनित उम्मीदवारों का नियोजन (पोस्टिंग) आईआरडीएआई के किसी भी कार्यालय में हो सकता है तथा उन्हें उनके कैरियर के दौरान किसी भी समय एक विभाग/कार्यालय से दूसरे विभाग/कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

## 17. परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण (गैर-आवासीय)

उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / निःशक्त (पीडब्ल्यूडी) श्रेणियों के हैं और जो चरण – I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) और चरण – II वर्णनात्मक परीक्षा के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस अधिसूचना के अनुबंध में दिये गये रूप में एक आवेदन पत्र कार्यकारी निदेशक (सामान्य), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004 को प्रस्तुत करने के द्वारा आईआरडीएआई के पास अपने नाम और अन्य विवरण पंजीकृत करवा सकते हैं। परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की अपेक्षा करनेवाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर उक्त परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण हैदराबाद और/ या नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे प्रशिक्षण सत्रों के विवरण के लिए हमारी वेबसाइट [www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in) के 'रोजगार' (एम्प्लॉयमेंट) टैब में देखें। प्रशिक्षण संबंधी अधिसूचना रोजगार टैब के अंतर्गत हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की तारीखों और स्थान के बारे में पत्र / ई-मेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को विनिर्दिष्ट तारीखों पर अपने स्वयं के खर्च पर प्रशिक्षण में उपस्थित होना होगा।

## 18. आवेदन कैसे करें

क. उम्मीदवार 15.8.2017 से 5.9.2017 तक केवल ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन की कोई भी अन्य विधि स्वीकार नहीं की जाएगी।

ख. तथापि, जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में हैं चाहे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियत या दिहाड़ी कर्मचारियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रूप में हों, अथवा सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत सेवारत हैं, उनसे अपेक्षित है कि वे ऑन-लाइन आवेदन में एक वचन-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपने कार्यालय/ विभाग के प्रमुख को लिखित में सूचित किया है कि उन्होंने उक्त परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि यदि आईआरडीएआई द्वारा उनके नियोक्ता से उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने / उक्त परीक्षा में उपस्थित होने से उम्मीदवारों को अनुमति देने से रोकते हुए सूचना-पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उनका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है/ उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

### 18.1 ऑन-लाइन आवेदन करने के लिए पूर्वापेक्षाएँ

ऑन-लाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ---

(क) यह सुनिश्चित करते हुए अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करें कि दोनों फोटोग्राफ और हस्ताक्षर इस अधिसूचना में दिये गये रूप में आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।



(ख) अपने पास एक वैध वैयक्तिक ई-मेल आईडी रखें, जिसे परिणामों की घोषणा तक सक्रिय रखना चाहिए। आईआरडीएआई उक्त पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से परीक्षा आदि के लिए सूचना-पत्र/बुलावा पत्र (कॉल लेटर) आदि भेज सकता है। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को किसी भी अन्य व्यक्ति को ई-मेल आईडी का साझा/उल्लेख नहीं करना चाहिए।

**18.2 आवेदन शुल्क तथा सूचना प्रभार (अप्रतिदेय):** 15.8.2017 से 5.9.2017 तक दोनों दिन सहित निम्नलिखित देय होगा:

वर्ग	राशि	टिप्पणी
अजा/ अजजा/ निःशक्तजन/ भूतपूर्व सैनिक	100/- रुपये	सूचना प्रभार
अजा/ अजजा/ निःशक्तजन/ भूतपूर्व सैनिक के सिवाय	650/- रुपये	सूचना प्रभार सहित आवेदन शुल्क

- आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क के ऑन-लाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन प्रभार उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।
- निर्धारित शुल्क / सूचना शुल्क के बिना आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
- एक बार भुगतान की जाने वाली शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी और न ही किसी भी अन्य परीक्षा या चयन के लिए शुल्क आरक्षित होगा।
- शुल्क / सूचना शुल्क इस विज्ञापन में निर्धारित तरीके से ही भुगतान किया जाना आवश्यक है।

### 18.3 ऑन-लाइन आवेदन करने के लिए प्रक्रिया

(क) उम्मीदवारों से सर्वप्रथम अपेक्षित है कि वे आईआरडीएआई की वेबसाइट

[www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in) पर जाएँ और 'रोजगार' (एम्प्लॉयमेंट) टैब पर क्लिक करें और फिर ऑन-लाइन आवेदन फार्म को खोलने के लिए विकल्प 'सहायक प्रबंधक के पद के लिए भर्ती' पर क्लिक करें।

(ख) उम्मीदवारों को ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपनी आधारभूत सूचना प्रविष्ट करने

के द्वारा अपने आवेदन को पंजीकृत करने के लिए 'नये पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें' लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रणाली के द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार को उक्त अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। उक्त अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को निर्दिष्ट करते हुए एक ई-मेल भी पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजा जाएगा। वे सुरक्षित किये गये डेटा को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करते हुए पुनः खोल सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो विवरण को संपादित (एडिट) कर सकते हैं। एक बार सेव की गई आधारभूत सूचना को संपादित नहीं किया जा सकता।

- (ग) यदि उम्मीदवार एक ही बार में आवेदन फार्म भरने में असमर्थ है, तो वह "सेव एण्ड नेक्स्ट" टैब का चयन करने के द्वारा पहले से ही प्रविष्ट किये जा चुके डेटा को सेव कर सकता / सकती है। ऑन-लाइन आवेदन की प्रस्तुति से पहले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑन-लाइन आवेदन फार्म में विवरण का सत्यापन करने के लिए "सेव एण्ड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करें।
- (घ) उम्मीदवारों को उपयुक्त स्थानों पर ऑन-लाइन आवेदन में विवरण अत्यंत सावधानीपूर्वक भरना चाहिए तथा ऑन-लाइन आवेदन फार्म के अंत में 'अंतिम प्रस्तुति' (फाइनल सबमिट) बटन क्लिक करना चाहिए। 'फाइनल सबमिट' बटन दबाने से पहले उम्मीदवारों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि वे आवेदन में भरे गये प्रत्येक फील्ड की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। **फाइनल सबमिट बटन क्लिक करने के बाद कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।**
- (ङ) आवेदन में उम्मीदवार अथवा उसके पिता/ पति आदि का नाम सही वर्तनी के साथ होना चाहिए क्योंकि वह प्रमाणपत्रों/अंक पत्रकों/ फोटो पहचान प्रमाण में विद्यमान है। यदि कोई भी परिवर्तन / हेर-फेर पाया जाता है तो उम्मीदवारी निरहित (डिसक्वालिफाई) की जा सकती है।
- (च) 'अपने विवरण को मान्य करें' (वैलिडेट युवर डिटेल्स) और 'सेव एण्ड नेक्स्ट' बटन को क्लिक करने के द्वारा अपने विवरण को मान्य बनाएँ।
- (छ) नीचे पैरा 18.5 में फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के स्कैनिंग और उन्हें अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिये गये विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
- (ज) उम्मीदवार आवेदन फार्म में अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
- (झ) समूचे आवेदन फार्म का पूर्वदर्शन (प्रीव्यू) करने के लिए प्रीव्यू टैब पर क्लिक करें तथा अंतिम प्रस्तुति (फाइनल सबमिट) से पहले समूचे आवेदन फार्म का सत्यापन करें।
- (ञ) यदि आवश्यक हो तो विवरण का संशोधन करें तथा केवल यह सत्यापन करने और सुनिश्चित करने के बाद ही कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड किये गये हैं और आपके द्वारा भरे गये अन्य ब्योरे सही हैं, 'अंतिम प्रस्तुति' (फाइनल सबमिट) पर क्लिक करें।
- (ट) 'भुगतान' (पेमेंट) टैब पर क्लिक करें और शुल्क/ सूचना प्रभारों के भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
- (ठ) 'प्रस्तुत करें' (सबमिट) बटन पर क्लिक करें।
- (ड) इस स्तर पर पंजीकरण अनंतिम है।

#### 18.4 शुल्क / सूचना प्रभारों का भुगतान

उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क / सूचना प्रभारों का भुगतान केवल **ऑन-लाइन** विधि से ही करना चाहिए।

- (क) आवेदन फार्म भुगतान गेटवे के साथ समन्वित किया जाता है और भुगतान की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण करते हुए पूरी की जा सकती है।
- (ख) उक्त भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/वीज़ा/मास्टरकार्ड/माएस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, नकदी कार्ड/ मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है।
- (ग) ऑन-लाइन आवेदन फार्म में भुगतान की सूचना प्रस्तुत करने के बाद, **सर्वर से सूचना के लिए प्रतीक्षा करें। दोहरे प्रभार से बचने के लिए प्रेस बैंक अथवा रिक्रेश बटन न दबाएँ।**
- (घ) कार्यसंपादन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक ई-रसीद उत्पन्न की जाएगी।
- (ङ) 'ई-रसीद' उत्पन्न न होना भुगतान की विफलता को दर्शाता है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करते हुए पुनः लॉग-इन करें तथा भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएँ।
- (च) उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे ई-रसीद और ऑन-लाइन आवेदन फार्म का प्रिंट-आउट लें। कृपया ध्यान रखें कि यदि इन्हें उत्पन्न करना संभव नहीं हो पा रहा हो, तो ऑन-लाइन लेनदेन सफल नहीं हुआ होगा।
- (छ) क्रेडिट कार्ड प्रयोक्ताओं के लिए: सभी प्रभार भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप एक भारतीय से इतर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक आपकी स्थानीय मुद्रा को प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर परिवर्तित करेगा।
- (ज) आपके डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, आप अपना लेनदेन समाप्त होते ही ब्राउज़र विंडो को बंद कीजिए।
- (झ) भुगतान के बाद शुल्क / सूचना प्रभारों से युक्त आवेदन फार्म को मुद्रित करने की सुविधा है।
- (ञ) भुगतान गेटवे द्वारा लगाये जानेवाले बैंक/ कार्ड लेनदेन प्रभार उम्मीदवारों के द्वारा वहन किये जाने चाहिए।

## 18.5 फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड हेतु दिशानिर्देश

### (i) फोटोग्राफ इमेज

- (क) फोटोग्राफ अवश्य हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए।
- (ख) चित्र रंगीन होना चाहिए तथा उसकी पृष्ठभूमि हलके रंग की, और अधिमानतः सफेद रंग की होनी चाहिए।

- (ग) आराम युक्त चेहरे के साथ सीधे कैमरे को देखें।
- (घ) यदि चित्र धूपवाले दिन में लिया गया हो, तो सूरज आपके पीछे रहे, अथवा आप स्वयं को छाया में रखें ताकि आप अधखुली आँखों से न देखें और अनावश्यक छायाएँ न हों।
- (ङ) यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना हो, तो सुनिश्चित करें कि कोई 'रेड-आई' न हो।
- (च) यदि आप चश्मा पहनते/पहनती हों, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंबन न हो और आपकी आँखें सुस्पष्ट रूप से देखी जा सकें।
- (छ) टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक दृष्टि से सिर के पहनावे की अनुमति है, परंतु इससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- (ज) आयाम 200 x 230 पिक्सल (वरीय)।
- (झ) फाइल का आकार 20 केबी – 50 केबी के बीच होना चाहिए।
- (ञ) यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किये गये इमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो। यदि फाइल का आकार 50 केबी से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर के सेटिंग ठीक करें जैसे डीपीआई रिज़ोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि।
- (ट) यदि फोटोग्राफ में चेहरा अथवा हस्ताक्षर अस्पष्ट है, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार आवेदन का संपादन (एडिट) कर सकता/सकती है तथा फोटोग्राफ / हस्ताक्षर को पुनः अपलोड कर सकता/सकती है।

## (ii) हस्ताक्षर इमेज

- (क) आवेदक को सफेद कागज पर बॉल पॉइन्ट (काली स्याही से युक्त) पेन से हस्ताक्षर करने चाहिए।
- (ख) हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही किये जाने चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
- (ग) बुलावा पत्र (कॉल लेटर) और परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक पर प्राप्त किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किये गये हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए। हस्ताक्षरों के बेमेल होने की स्थिति में उम्मीदवार को निरहित (डिसक्वालिफाई) किया जा सकता है।
- (घ) आयाम 140 x 60 पिक्सल (वरीय)
- (ङ) फाइल का आकार 10 केबी – 20 केबी के बीच होना चाहिए।
- (च) सुनिश्चित करें कि स्कैन किये गये इमेज का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है।

## (iii) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का स्कैनिंग

- (क) स्कैनर के रिज़ोल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट प्रति इंच) तक सेट करें।
- (ख) रंग को कलर में सेट करें।
- (ग) फाइल का आकार ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में।

- (घ) स्कैनर में इमेज को फोटोग्राफ / हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करें और तब अंतिम आकार तक इमेज को क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें (ऊपर विनिर्दिष्ट किये अनुसार)।
- (ङ) इमेज जेपीजी अथवा जेपीईजी फार्मेट होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप एक फाइल नाम है: image01.jpg अथवा image01.jpeg. इमेज आयामों की जाँच फोल्डर फाइलों की सूची बनाकर अथवा माउस को फाइल इमेज आइकॉन पर मूव करके की जा सकती है। एमएस विंडोज़ / एमएस ऑफिस का उपयोग करनेवाले उम्मीदवार एमएस पेंट अथवा एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करने के द्वारा क्रमशः 50 केकेबैंड और 20 केबी से अनधिक दायरे में .jpeg फार्मेट में फोटो और हस्ताक्षर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फार्मेट में स्कैन किये गये फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को फाइल मेनू में 'सेव ऐज़' विकल्प का प्रयोग करने के द्वारा .jpg फार्मेट में सेव किया जा सकता है तथा क्रॉप और फिर रीसाइज़ विकल्प का प्रयोग करने के द्वारा आकार 50केबी (फोटोग्राफ) से कम और 20केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है। इसी प्रकार के विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।
- (च) ऑन-लाइन आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यदि फाइल आकार और फार्मेट निर्धारित रूप में नहीं हों, तो एक त्रुटि (एरर) संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- (iv) **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए प्रक्रिया**
- (क) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे।
- (ख) "फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड" करने के संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- (ग) ब्राउज करें और उस स्थान का चयन करें जहाँ स्कैन किये गये फोटो / हस्ताक्षर को सेव किया गया हो।
- (घ) फाइल पर क्लिक करके उसका चयन करें।
- (ङ) 'अपलोड' बटन को क्लिक करें।
- (च) उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड की गई है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं की गई है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 18.6 अन्य दिशानिर्देश

- (i) उम्मीदवार को चाहिए कि वह स्नातक उपाधि (ग्रेड्युएशन)/एचएससी/समकक्ष (XII उत्तीर्ण) परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को निर्दिष्ट करे जिनका परिकलन ऑन-लाइन आवेदन में निकटतम दो दशमलव बिन्दुओं तक किया गया हो। जहाँ

सीजीपीए / ओजीपीए प्रदान किया गया हो, वहाँ उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ऑन-लाइन आवेदन में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया हो, तो उम्मीदवार को अन्य बातों के साथ-साथ ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने के विश्वविद्यालय के मानदंड और मानदंडों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत निर्दिष्ट करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

- (ii) प्रतिशत का परिकलन: अंकों के प्रतिशत की गणना सभी सेमेस्टर (सेमेस्टर्स)/ वर्ष (वर्षों) में सभी विषयों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को ऑनर्स / वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो, का विचार किये बिना अधिकतम अंकों से विभाजित करने के द्वारा की जानी चाहिए। यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहाँ श्रेणी / ग्रेड का निर्धारण केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के भाग (फ्रैक्शन) की उपेक्षा की जाएगी, अर्थात् 59.99% को 60% से कम माना जाएगा तथा 54.99% को 55% से कम माना जाएगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन करने से पहले स्वयं संतुष्ट हों कि वे आयु और योग्यताओं के संबंध में अपेक्षा की पूर्ति करते हैं तथा यदि अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी भर्ती के किसी भी स्तर पर निरस्त की जाएगी। **चरण – I ऑन-लाइन प्रारंभिक परीक्षा, चरण – II वर्णनात्मक परीक्षा और चरण – III साक्षात्कार (इंटरव्यू) में उपस्थित होना अपने आप उपर्युक्त पद के लिए चयनित होने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।**
- (iii) यदि परीक्षा की तारीख में कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना आईआरडीएआई की वेबसाइट पर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे विवरण और अद्यतन सूचनाओं के लिए आईआरडीएआई की प्राधिकृत वेबसाइट [www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in) के साथ नियमित संपर्क में रहें।
- (iv) उम्मीदवारों के लिए ऑन-लाइन आवेदन करते समय आवेदन के प्रिंटआउट अथवा कोई प्रमाणपत्र अथवा उनकी प्रतियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उम्मीदवारी पर विचार आवेदन में घोषित सूचना के बल पर किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि ऑन-लाइन आवेदन में प्रस्तुत सूचना झूठी / गलत है अथवा यदि आईआरडीएआई के अनुसार उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त / समाप्त की जा सकती है।

- (v) कृपया ध्यान रखें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, पता, मोबाइल संख्या, ई-मेल आईडी, परीक्षा का केन्द्र, आदि सहित ऑन-लाइन आवेदन में उल्लिखित सभी ब्योरे अंतिम माने जाएँगे तथा ऑन-लाइन आवेदन फार्म की प्रस्तुति के बाद किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑन-लाइन आवेदन फार्म को अत्यंत सावधानी के साथ भरें क्योंकि ब्योरे के परिवर्तन के संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत अथवा अधूरा विवरण प्रस्तुत करने अथवा आवेदन फार्म में अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने में किसी चूक के कारण उत्पन्न होनेवाले किसी भी परिणाम के लिए आईआरडीएआई उत्तरदायी नहीं होगा।
- (vi) ऐसा ऑन-लाइन आवेदन जो किसी भी तरह से अधूरा हो जैसे फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऑन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किये बिना हो, विधिमान्य नहीं माना जाएगा।
- (vii) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने स्वयं के हित में आवेदन की प्रस्तुति के लिए अंतिम तारीख से काफी पहले ही ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करें और अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट पर भारी दबाव/ वेबसाइट जाम के कारण आईआरडीएआई की वेबसाइट पर लॉग करने के लिए वियोजन/ असमर्थता/ विफलता की संभावना से बचा जा सके।
- (viii) यदि उम्मीदवार उपर्युक्त कारणों से अथवा आईआरडीएआई के नियंत्रण से बाहर के किसी अन्य कारण से अंतिम तारीख के अंदर अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आईआरडीएआई कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।
- (ix) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे एक ही विशेषीकरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन न करें। यदि एक ही विशेषीकरण के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये गये हों तो केवल नवीनतम पंजीकरण रख लिया जाएगा और सभी अन्य आवेदनों के लिए अदा किये गये शुल्क / सूचना प्रभारों का समपहरण किया जाएगा।
- (x) कृपया ध्यान रखें कि उपर्युक्त प्रक्रिया ही आवेदन करने के लिए एकमात्र विधिमान्य प्रक्रिया है। आवेदन की कोई अन्य विधि अथवा अधूरे कदम स्वीकार नहीं किये जाएँगे और इस प्रकार के आवेदन अस्वीकार किये जाएँगे।
- (xi) आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत कोई भी सूचना वैयक्तिक रूप से उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगी तथा यदि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/ ब्योरा किसी अगले स्तर पर असत्य पाया जाता है तो वह अभियोजन/ सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

- (xii) उन उम्मीदवारों के लिए आईआरडीएआई कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता जो किसी कारण से अथवा आईआरडीएआई के नियंत्रण से बाहर के किसी कारण से अंतिम तारीख से पहले अपने आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

## 19. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पी.डब्ल्यू.डी./भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश

19.1 सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी के रूप में आरक्षण की अपेक्षा करते हुए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाणपत्र में उम्मीदवार की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके अंतर्गत उक्त जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा वह गाँव/शहर जहाँ का उम्मीदवार मूल रूप से निवासी है, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

19.2 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों के संबंध में जाति प्रमाणपत्र निम्नलिखित

प्राधिकारियों से प्राप्त किया जाना चाहिए:

19.2.1 जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलक्टर/ उप आयुक्त/ उप कलक्टर/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डियरी मजिस्ट्रेट/ उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/ तालूका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डियरी मजिस्ट्रेट की हैसियत से अन्यून)।

19.2.2 मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम हैसियत का न हो।

19.2.3 उस क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/ या उसका परिवार सामान्य रूप से निवास करता है।

19.2.4 जहाँ तक तमिलनाडु के अनुसूचित जनजाति समुदाय का संबंध है, तहसीलदार के बदले केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र ही विधिमान्य होगा।

**टिप्पणी:** उस राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, जहाँ से जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, के उपयुक्त प्राधिकारियों से मूल रूप से प्राप्त जाति प्रमाणपत्र उसकी एक स्वयं प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति के साथ साक्षात्कार (इंटरव्यू) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

19.3 अ.पि.व. के रूप में आरक्षण की अपेक्षा करनेवाले उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में एक घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि वह साक्षात्कार के दिन को नवोन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) का/की नहीं है। यह आवश्यक है कि उक्त अ.पि.व. प्रमाणपत्र जो नवोन्नत वर्ग के न होने (नॉन-क्रीमी लेयर) के खंड से युक्त हो, 01.04.2017 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे अपनी अ.पि.व. स्थिति और नॉन-क्रीमी लेयर की स्थिति के संबंध



में उपर्युक्त किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया तथा डीओपीएण्डटी ओएम सं. 36036/2/2013 – स्थापना (आरईएस.) दिनांक 30.05.2014 और 36033/1/2013 – स्थापना (आरईएस.) दिनांक 27.05.2013 में निर्धारित फार्मेट में दिया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

**19.4 साक्षात्कार (इंटरव्यू) आदि के समय प्रस्तुत किये जानेवाले (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., निःशक्त(पीडब्ल्यूडी) और भूतपूर्व सैनिक) प्रमाणपत्रों के निर्धारित फार्मेटों के लिए हमारी वेबसाइट [www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in) का रोजगार (एम्प्लॉयमेंट) खंड देखें। इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे पूर्णतया केवल इन फार्मेटों में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।**

**19.5 परिणामों को अंतिम रूप देने की तारीख को लागू आरक्षण नियम चयन प्रक्रिया के लिए लागू किये जाएँगे।**

## **20. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो)**

उम्मीदवार की पात्रता और पहचान के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में और उनकी स्वयं प्रमाणित (सेल्फ-अटेस्टेड) फोटोप्रतियाँ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने से भर्ती की प्रक्रिया में आगे की उसकी सहभागिता से उसकी उम्मीदवारी को रोका जाएगा।

**20.1 विधिमान्य साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र (कॉल लेटर) का प्रिंटआउट।**

**20.2 ऑन-लाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत ऑन-लाइन आवेदन फार्म का प्रणाली (सिस्टम) से उत्पन्न किया गया प्रिंटआउट।**

**20.3 जन्मतिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र अथवा जन्मतिथि के उल्लेख से युक्त एसएसएलसी / कक्षा X प्रमाणपत्र)।**

**20.4 फोटो पहचान के प्रमाण की मूल और फोटोकॉपी जैसा कि विज्ञापन के अंतर्गत पहचान के सत्यापन में निर्दिष्ट किया गया है।**

**20.5 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूप में नियत फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र।**

**20.6 अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में प्रमाणपत्र में विशिष्ट रूप से एक खंड निहित होना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर खंड से संबंधित नहीं है जो भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से अपवर्जित है। नॉन-क्रीमी लेयर खंड से युक्त अ.पि.व. जाति**

प्रमाणपत्र ऑन-लाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख को विधिमान्य होना चाहिए।  
प्रमाणपत्र में उल्लिखित जाति का नाम केन्द्र सरकार की सूची / अधिसूचना के साथ  
अक्षरशः मेल खाना चाहिए।

**20.7** अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित, परंतु क्रीमी लेयर के अंतर्गत आनेवाले उम्मीदवार और/ या  
यदि उनकी जाति केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं है तो अ.पि.व. आरक्षण के लिए पात्र  
नहीं हैं। उन्हें चाहिए कि वे ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप  
में निर्दिष्ट करें।

**20.8** निःशक्त (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के मामले में प्राधिकृत भारत सरकार / राज्य  
सरकार के विभाग / अस्पताल द्वारा जारी किया गया निर्धारित फार्मेट में नवीनतम  
निःशक्तता का प्रमाणपत्र।

**20.9** सरकारी / अर्ध-सरकारी कार्यालयों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा  
कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं सहित) में सेवारत उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे  
साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत  
करें, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा तथा अन्य  
प्रकार से स्वीकार्य यात्रा व्यय, यदि कोई हों, अदा नहीं किये जाएँगे।

**20.10** पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

**टिप्पणी:** यदि उम्मीदवार ऊपर उल्लिखित रूप में संबंधित पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत  
नहीं करेंगे तो उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**21. चयनित सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले अतिरिक्त  
दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो)**

**21.1 भर्ती-पूर्व डॉक्टरी जाँच:** चयनित सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को एक भर्ती-पूर्व डॉक्टरी जाँच  
करवानी होगी तथा केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही उनको नियुक्ति के लिए  
प्रस्ताव किया जाएगा।

**21.2 भारमुक्ति पत्र (रिलीफ लेटर) / सेवामुक्ति पत्र (डिस्चार्ज लेटर):** यदि चयनित सूची में  
सम्मिलित उम्मीदवार पहले से ही नियोजित है, तो ऐसे उम्मीदवार को अपने वर्तमान  
नियोक्ता से उचित रूप से और बिना किसी शर्त के भारमुक्त किया जाना चाहिए तथा  
इस आशय का एक भारमुक्ति पत्र / सेवामुक्ति पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

**(टिप्पणी):** ऐसे रोजगार में कार्यग्रहण करते समय उम्मीदवार द्वारा निष्पादित सर्विस  
बांड की चुकौती में अदा की गई राशि सहित वर्तमान रोजगार से संबंधित कोई भी  
देयता / देयताओं का अधिग्रहण आईआरडीएआई नहीं करेगा। वर्तमान रोजगार से

उम्मीदवार के लिए उपचित सेवांत लाभ, यदि कोई हों, का अंतरण आईआरडीएआई को नहीं किया जा सकता।

## 22. सामान्य नियम / अनुदेश

22.1 उम्मीदवारों के लिए ऑन-लाइन आवेदन करते समय किसी भी पते पर आवेदन के प्रिंटआउट अथवा कोई प्रमाणपत्र अथवा उनकी प्रतियाँ प्रस्तुत / प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उम्मीदवारी पर उक्त आवेदन में घोषित की गई सूचना के बल पर विचार किया जायेगा। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि ऑन-लाइन आवेदन में प्रस्तुत सूचना झूठी / गलत है अथवा यदि आईआरडीएआई के अनुसार उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/ करती, तो उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त / समाप्त की जा सकती है।

22.2 सभी शैक्षिक योग्यताएँ भारत में अथवा विदेश में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थाओं से प्राप्त की गई होनी चाहिए। यदि अंकों के बदले ग्रेड दिये गये हैं तो उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से उसका संख्यात्मक तुल्यांक निर्दिष्ट करना चाहिए।

22.3 आईआरडीएआई उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए उनकी पात्रता के बारे में सलाह माँगते हुए प्राप्त किये गये अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा।

22.4 **बुलावा पत्र (कॉल लेटर) का डाउनलोड:** उम्मीदवारों को ऑन-लाइन परीक्षा/ओं के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट [www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in) पर घोषित की जानेवाली तारीख से आईआरडीएआई वेबसाइट में विजिट करना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचना ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की जाएगी। जब एक बार उम्मीदवार संबंधित लिंक को क्लिक करेगा, वह कॉल लेटर डाउनलोड के लिए विंडो तक पहुँच सकेगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार से अपेक्षित है कि वह (i) पंजीकरण संख्या / रोल नंबर, (ii) पासवर्ड / जन्मतिथि का उपयोग करे। उम्मीदवार को चाहिए कि वह डाउनलोड किये गये कॉल लेटर पर हाल ही में लिया गया पहचान योग्य फोटोग्राफ लगाए, अधिमानतः वैसा ही फोटोग्राफ जो पंजीकरण के दौरान दिया हो तथा परीक्षा केन्द्र में (i) कॉल लेटर और (ii) फोटो पहचान प्रमाण जैसा कि निर्धारित किया गया है तथा पत्र में भी विनिर्दिष्ट किया गया है, एवं मूल रूप में लाये गये फोटो पहचान प्रमाण की ही फोटोकॉपी, के साथ उपस्थित हो।

22.5 विलंब से रिपोर्ट करनेवाले उम्मीदवार अर्थात् परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कॉल लेटर में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद आनेवाले उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ करने से पहले का समय है। यद्यपि परीक्षा की अवधि कम हो सकती है, तथापि उम्मीदवारों से अपेक्षित हो सकता है कि वे सत्यापन और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों के संग्रहण, लॉगिंग इन, अनुदेश देने आदि जैसी

विभिन्न औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए अपेक्षित समय सहित अधिक समय के लिए स्थान पर रहें।

22.6 आयु / योग्यता / श्रेणी आदि से संबंधित दस्तावेज साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों के द्वारा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किये जाने चाहिए। जो उम्मीदवार आयु में छूट की अपेक्षा करते हैं उनसे अपेक्षित है कि वे साक्षात्कार के समय आवश्यक प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत करें।

22.7 उम्मीदवारों को चरण – I प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने स्वयं के खर्च से उपस्थित होना होगा। तथापि, चरण – II वर्णनात्मक परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाये जानेवाले उम्मीदवारों को आने-जाने के लिए II एसी रेलवे यात्रा किराये की (राजधानी/ शताब्दी ट्रेनों से यात्रा को छोड़कर अन्य प्रकार से) प्रतिपूर्ति की जाएगी। वास्तविक एकल II एसी रेलवे किराये की गणना उनके निवास/ कार्यस्थान से चरण – II परीक्षा और साक्षात्कार (इंटरव्यू) के स्थान तक निकटतम मार्ग से की जाएगी।

22.8 आईआरडीएआई में नियुक्ति से पहले नियोक्ता से एक उचित सेवामुक्ति प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा।

22.9 उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑन-लाइन आवेदन का पंजीकरण करवाने से लेकर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी प्रयोजनों के लिए एक ही फोटोग्राफ का उपयोग करें।

22.10 उम्मीदवारों को उनके अपने ही हित में सूचित किया जाता है कि वे ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठा हो, हेर-फेर किया हुआ हो अथवा गढ़ा हुआ हो तथा कोई भी महत्वपूर्ण सूचना को नहीं छिपाएँ।

22.11 परीक्षा और साक्षात्कार अथवा उसके बाद चयन प्रक्रिया में, यदि उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (अथवा दोषी पाया गया है) तो –

क. परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाना, अथवा

ख. छद्म रूप से व्यवहार करना अथवा किसी भी व्यक्ति के द्वारा छद्म रूप से व्यवहार करवाना, अथवा

ग. जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना अथवा हेर-फेर किये गये दस्तावेज प्रस्तुत करना, अथवा

घ. परीक्षा/साक्षात्कार (इंटरव्यू) हॉल में अभद्र व्यवहार करना अथवा परीक्षा(ओं) की अंतर्वस्तु अथवा उसमें निहित किसी भी सूचना को किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी साधन द्वारा मौखिक या लिखित रूप में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अथवा यांत्रिक तौर पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, संप्रेषित करना, संचित करना अथवा संप्रेषण और संचयन में सहायता करना, अथवा

ङ. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित अथवा अनुचित साधन का सहारा लेना, अथवा

च. परीक्षा के संचालन से संबद्ध किसी भी व्यक्ति को अवैध आनुतोषिक का प्रस्ताव करने अथवा उस पर दबाव का प्रयोग करने, अथवा भयादोहन करने, धमकाकर बाध्य करने के द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना

छ. परीक्षा / साक्षात्कार के हॉल में मोबाइल फोन, पेजर या इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या साधन अथवा अन्य कोई उपकरण अपने पास रखना अथवा उसका उपयोग करना जो संप्रेषण के उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए सक्षम हो।

ऐसा उम्मीदवार आपराधिक अभियोजन के लिए स्वयं बाध्य होने के अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए भी बाध्य होगा:

- i. उस परीक्षा / साक्षात्कार के लिए निरहित किया जाना जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है,
- ii. भविष्य में आईआरडीआई द्वारा आयोजित की जानेवाली किसी भी परीक्षा/ चयन से स्थायी तौर पर रोकना,
- iii. यदि उसने पहले से ही आईआरडीआई की सेवा में कार्यग्रहण किया है तो उसकी सेवा समाप्त करना,
- iv. उपयुक्त पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) फाइल करना।

**टिप्पणी:** यदि ऐसी घटनाएँ वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान पहचान में नहीं आती हैं, परंतु बाद में पहचानी जाती हैं तो आपराधिक अभियोजन सहित ऐसा उत्तरदायित्व पूर्वव्यापी प्रभाव से संपन्न होगा।

**22.12** वैयक्तिक उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों

के साथ विश्लेषण किया जाएगा ताकि सही और गलत उत्तरों की समानता के स्वरूपों का पता लगाया जा सके। यदि इस संबंध में अपनाई गई विश्लेषण प्रक्रिया में यह परिणाम / निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरों का साझा किया गया है तथा प्राप्त अंक प्रामाणिक / वैध नहीं हैं, तो आईआरडीआई के पास संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा ऐसे उम्मीदवारों (निरहित) का परिणाम रोक दिया जाएगा।

**22.13** आईआरडीआई के साथ समस्त पत्राचार में आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त पंजीकरण संख्या और 'कॉल लेटर' में निर्दिष्ट रोल नंबर को अवश्य उद्धृत करना चाहिए।

**22.14** पात्रता, परीक्षाओं के संचालन, साक्षात्कार (इंटरव्यू), मूल्यांकन, चरण-I, चरण-II

ऑन-लाइन परीक्षाओं और साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हकारी मानक निर्धारित करने से संबंधित सभी विषयों में, रिक्तियों की संख्या और परिणाम की सूचना के संबंध में आईआरडीआई का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी पत्र-व्यवहार अथवा वैयक्तिक पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

**22.15** परीक्षा/ओं के प्रबंध में कुछ समस्या के घटित होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता जो परीक्षा के वितरण और/या परिणाम के उत्पन्न किये जाने को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की समस्या को ठीक करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में संचालन अथवा परीक्षा में विलंब अथवा यदि आवश्यक समझा जाएगा तो एक अन्य सत्र / परीक्षा का संचालन शामिल हो सकता है। पुनः परीक्षा का संचालन करना आयोजन निकाय के संपूर्ण विवेक पर निर्भर है। उम्मीदवार एक पुनः परीक्षा के लिए दावा नहीं कर सकते। जो उम्मीदवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए अनिच्छुक होंगे अथवा परीक्षा के वितरण की विलंबित प्रक्रिया में सहभागिता करना नहीं चाहेंगे, उन्हें आगे की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपात्र किया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में आईआरडीआई का निर्णय अंतिम है तथा उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। ऐसे परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी खो देगा/देगी। इस विषय में किसी पत्राचार अथवा वैयक्तिक पूछताछ पर आईआरडीआई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

**22.16** यदि परीक्षा का आयोजन एक से अधिक सत्रों में किया जाता है, तो विभिन्न सत्रों / परीक्षाओं में प्रयुक्त विभिन्न परीक्षा बैटरियों की कठिनाई के स्तर में अल्प अंतरों का समायोजन करने के लिए विभिन्न सत्रों / परीक्षाओं में प्राप्तांकों को समीकृत किया जाएगा। एक से अधिक सत्रों / परीक्षाओं की आवश्यकता तब होगी, यदि नोडों की क्षमता कम हो अथवा किसी केन्द्र में या किसी उम्मीदवार के लिए कुछ तकनीकी विघटन घटित हो।

**22.17** आईआरडीआई उम्मीदवारों को अंक-पत्रक प्रेषित नहीं करता। चरण-I (ऑन-लाइन परीक्षा) में प्राप्त अंक चरण-II के लिए उम्मीदवारों की चयनित सूची तैयार करने के बाद वेबसाइट पर एक पारस्परिक सक्रिय (इंटर-एक्टिव) विधि में केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपलब्ध कराये जाएँगे। तथापि, चरण-II वर्णनात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार (इंटरव्यू) में प्राप्त अंक अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद आईआरडीआई की वेबसाइट पर एक पारस्परिक सक्रिय (इंटर-एक्टिव) विधि में केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपलब्ध कराये जाएँगे।

**22.18** आवेदक को नैतिक भ्रष्टता से संबद्ध किसी अपराध के लिए भारत में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी समय दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा किये गये रूप में आरोपित किसी अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही भारत में किसी दंड (क्रिमिनल) न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं होनी चाहिए। पेशी के लिए वारंट अथवा समन, अथवा आवेदक की गिरफ्तारी के लिए वारंट फिलहाल प्रचलित किसी कानून के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाना

चाहिए अथवा भारत से आवेदक के प्रस्थान को रोकते हुए ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए।

**22.19** किसी उम्मीदवार के द्वारा गलत सूचना देने के दृष्टांत और/ या प्रक्रिया का उल्लंघन यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पाया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया से उम्मीदवार की निरर्हता के लिए मार्ग प्रशस्त होगा तथा उसे भविष्य में आईआरडीएआई की किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसे दृष्टांत वर्तमान चयन प्रक्रिया में पहचान में नहीं आते हों, परंतु बाद में इनका पता चलता हो, तो ऐसी निरर्हता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू की जाएगी।

**22.20** उम्मीदवारों को परीक्षा के परिसर में कैल्क्युलेटर का प्रयोग करने अथवा अपने पास रखने की अनुमति नहीं है।

**22.21** मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग **मना है।**

(क) मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ियाँ, पेजर अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण परिसर के अंदर रखने की अनुमति नहीं है जहाँ परीक्षा संचालित की जा रही हो। इन अनुदेशों के किसी भी उल्लंघन से अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी जिसमें भावी परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाना भी शामिल है। (ख) उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा के स्थान पर कोई भी प्रतिबंधित वस्तुएँ न लाएँ, जिनमें मोबाइल फोन / पेजर शामिल हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रूप में रखने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। (ग) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी जवाहरात/बहुमूल्य वस्तुएँ न लाएँ, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रूप में रखने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता तथा आईआरडीएआई इस संबंध में किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

**22.22** उक्त पद आईआरडीएआई (स्टाफ उम्मीदवार) के कर्मचारियों के लिए भी खुला है जो पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

**22.23** इस अधिसूचना और/ या इसके उत्तर में प्रस्तुत आवेदन के कारण उत्पन्न होनेवाले दावे अथवा विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल हैदराबाद में प्रारंभ की जा सकेगी और केवल हैदराबाद में स्थित न्यायालयों / न्यायाधिकरणों / फोरमों के पास ही किसी भी कारण / विवाद पर विचार करने के लिए एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

**22.24** परीक्षा / साक्षात्कार (इंटरव्यू) में उम्मीदवार का प्रवेश पूर्णतया अंतिम है। मात्र इस तथ्य से कि उम्मीदवार को कॉल लेटर जारी किया गया है, यह अर्थ नहीं निकलता कि उसकी उम्मीदवारी को आईआरडीएआई द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

22.25 भर्ती / चयन के संबंध में किसी भी रूप में अनुयाचन (कैन्वसिंग) एक निरहता (डिसक्वालिफिकेशन) होगी।

22.26 आईआरडीएआई के पास कोई कारण बताये बिना प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उपर्युक्त भर्ती को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

22.27 शुद्धिपत्र (कॉरिजेन्डम): कृपया ध्यान रखें कि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में जारी किया गया शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आईआरडीएआई की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

भर्ती के लिए ऑन लाइन आवेदन, अतिरिक्त अपडेट्स एवं विस्तृत विज्ञापन के लिए उम्मीदवारों को आईआरडीएआई वेबसाइट [www.irdai.gov.in](http://www.irdai.gov.in) के 'रोजगार' टैब पर जाने के लिए सलाह दी जाती है।

हैदराबाद

कार्यकारी निदेशक (सामान्य)

14.8.2017



अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ निःशक्त(पीडब्ल्यूडी) श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए  
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवेदन

दिनांक:

कार्यकारी निदेशक (सामान्य)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)

तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन, बशीर बाग

हैदराबाद-500 004

महोदय,

**विषय: सहायक प्रबंधकों की भर्ती – अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ निःशक्त(पीडब्ल्यूडी) श्रेणियों से  
संबंधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण**

1. मैंने आईआरडीएआई में सहायक प्रबंधक के पद के लिए आवेदन किया है तथा मेरी पंजीकरण सं. \_\_\_\_\_ है।
2. मैं प्रशिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होने के लिए सहमत हूँ।
3. कृपया परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण हैदराबाद / नई दिल्ली में प्रदान करने के लिए मेरे नाम का पंजीकरण करें।
4. मैं जाति प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करता/करती हूँ।
5. मैं नोट करता/ करती हूँ कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान यात्रा सहित, ठहरने के लिए और अपने सभी व्यय वहन करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
6. मैं यह भी नोट करता/ करती हूँ कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से परीक्षा (दोनों चरण-I और चरण-II), साक्षात्कार (इंटरव्यू) अथवा आईआरडीएआई की सेवा में भर्ती के लिए मुझे कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा।

भवदीय,/ भवदीया,

(हस्ताक्षर)

नाम और पता:

ई-मेल:

मोबाइल:

- संलग्न: 1. जाति प्रमाणपत्र/ निःशक्त(पीडब्ल्यूडी) प्रमाणपत्र की प्रमाणित (अटेस्टेड) प्रति  
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने के प्रमाण के तौर पर ई-रसीद की प्रति

**\*\*यह आवेदन उपर्युक्त पते पर विलंबतम 11-09-2017 तक अवश्य पहुँचना चाहिए। कृपया लिफाफे पर "सहायक प्रबंधक के पद के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण के लिए आवेदन 2017" लिखें।**